संख्या-91/2019/4400/सैंतीस-2-2019-1(31)/2017

प्रेषक,

बी. एल. मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-25 नवम्बर, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2189/सा0-2/बारह-573(भाग-3)/2019-20, दिनांक-20.11.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विद्यमान निराश्रित/बेसहारा गोवंश की ज्वलन्त समस्या के दृष्टिगत अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर रखे गये गोवंशों के भरण-पोषण हेतु पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं में सम्भावित बचतों से संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत कुल रू0-2561.22 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ इक्सठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि के आहरण/व्यय में अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पुनर्विनियोग से अन्य योजनायें प्रभावित न हों।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(5) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। विचलन की दशा में इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10)स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-1041/दस-2019, दिनांक-25.11.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(बी. एल. मीणा)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-91/2019/4400(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in